आवेदन सं. 216/2019 आदमखान बनाम राजस्थान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
22-11-19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार उप0। प्रतिवादी संख्या 2 से 12 की के अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 2 से 12 की संयुक्त व पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा– कानासर, पटवार हल्का कानासर तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 200 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 108 बीघा भूमि अवस्थित है। प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि ग्राम कानासर मे अवस्थित प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 2 से 12 की संयुक्त व पैतृक खातेदारी के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी तथा संवत् 2049 से 2052 तक प्रार्थी का नाम भी सही दर्ज होता रहा परन्तु संवत् 2053 में चौसाला जमाबंदी के संधारण के समय हल्का पटवारी द्वारा भूलवंश प्रार्थी का नाम आदम खान के स्थान पर आमद लिख देने से प्रार्थी अपना सही नाम आदम राजस्व रेकर्ड मे अंकन करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्धिकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किया गये। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 12 की ओर से वकील श्री हरीराम चौधरी द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर वकालात नाम मय जवाब आवेदन प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबंदी, आधार कार्ड, भामाशह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा विप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार व विप्रार्थी संख्या 2 से 12 के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम आदम खान पुत्र सुखा खां ही है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम कानासर, पटवार मण्डल कानासर तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 200 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 108 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए प्रार्थी का नाम आमद पुत्र सुखां खा के स्थान पर आदम पुत्र सुखा खां घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार रजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश आज दिनांक 22.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी शिव उपखण्ड अधिकारी शिव	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 15:29:35 IST
Reason: SelfAttested